

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdsheikhpura20@gmail.com

पत्रांक.....1511...../

शेखपुरा, दिनांक.....23/09/2024...../

प्रेषक,

ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

श्री मनोज कुमार (संवेदक)
ग्राम-कमता, पोस्ट-हथियामा, जिला-शेखपुरा।
पिन-811105, मो0 नं0-7319799747, 6207322262.

विषय:-

शीर्ष-MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ में अनुरक्षण कार्य कराने के संबंध में।

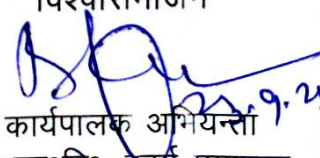
महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि शीर्ष-MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ अकबरपुर पश्चिम सिमाना से वरुणा हरिजन टोला पथ का स्थल निरीक्षण संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा माह सितम्बर 2024 में BRRMS App के माध्यम से किया गया, एवं निरीक्षणोपरान्त पथ को "U" (Unsatisfactory) श्रेणी में रखा गया है। पथ में लगे Main Information एवं Maintenance Board को रंग-रोगन कर पुनः आवश्यक विवरणी अंकित करने की आवश्यकता है, साथ ही पथ में 200m Stone, KM Stone, Road Singage Board लगाने एवं पथ के दोनों किनारें झाड़ी/घाँस को कटवाने की अति आवश्यकता है, चूँकि घाँस पथ के कालीकरण अंश पर दोनों तरफ से चढ़ा हुआ है, जिस कारण आवागमन हेतु चौड़ाई भी घट गयी है, एवं सभी Hume Pipe Culvert का Parapet दीवाल मरम्मत करवाकर पेन्ट करने की आवश्यकता है। कुछ पथांश में पथ घँस हुआ एवं गड़ढ़े हो गया है, जिसे जनहित में मरम्मत कराये जाने की नितांत आवश्यकता है। आपके द्वारा किये गए एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण कराना आपकी पूर्ण जबाबदेही है।

अतः कार्यहित में निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर संबंधित कनीयन्ता अभियन्ता के देख-रेख में सभी आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें, अन्यथा वाध्य होकर आपके निबंधन को विभागीय डीबार सूची में डालने हेतु अनुशंसा भेजते हुए एकरारनामा विखंडण की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा